ePaper
नवभारत Nagpur | 26 November 2025 | Page 4

MSME के लिए और सरल कानून बने

■ **नागपुर, बिजनेस कनेक्ट.** देश के कानूनी एवं नियामक ढांचे में तेजी से परिवर्तन जारी है. अब सुधारों का मुख्य केंद्र व्यापार करने में आसानी, त्वरित वाद निस्तारण, अनुकूल वातावरण है. लेकिन इसको और सरल करने की आवश्यकता है.

भारत का कानूनी परिदृश्य : एयू कॉरपोरेट एडवाइजरी एंड लीगल सर्विसेज के संस्थापक अक्षत खेतान ने व्यवसाय सशक्तिकरण, एमएसएमई पुनर्जीवन और जिम्मेदार पूंजी को प्रोत्साहन देने की जरूरत पर दिया. उन्होंने उद्यमिता, निवेश और आर्थिक विकास में चल रहे कानूनी सुधारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला.

व्यापार वृद्धि का सशक्त कानूनी आधार : खेतान ने कहा कि आज कानून अड़चन नहीं बल्कि व्यवसाय का समर्थ साझेदार है. पारदर्शी, पूर्वानुमेय और बिजनेस-फ्रेंडली कानूनी व्यवस्था हमारा संकल्प है. कॉरपोरेट प्रशासन, डिजिटल अनुपालन और वैश्विक निवेश को सुगम बनाने वाली नीतियां भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बना रही हैं. एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. इसके मुख्य सुधार बिंदु हैं एमएसएमईडी अधिनियम के तहत भुगतान में देरी पर कड़ी कार्रवाई, एमएसई फेसिलिटेशन काउंसिल व एमएसएमई समाधान से त्वरित विवाद समाधान, आईबीसी के पीपीआईआरपी ढांचे से एमएसएमई पुनर्जीवन को गति और एमएसएमई विस्तार के लिए विलय एवं अधिग्रहण लेनदेन को सरल समर्थन. इन कदमों का उद्देश्य एमएसएम को लचीला, प्रतिस्पर्धी और निवेश-सक्षम बनाना है. खेतान ने कहा कि आईबीसी केवल लिक्विडेशन नहीं यह ईमानदार व्यवसायों को बचाने की प्रक्रिया है.

जागरूकता के प्रयास जारी

खेतान ने बताया कि उनकी कंपनी एयू कॉरपोरेट एडवाइज़री एंड लीगल सर्विसेज ने 5 वर्षों में 950 कंपनियों को राहत दिलाई है. वे बोले, उत्पादन और सेल कंपनियों के अलावा अब सर्विस सेक्टर में भी 44 प्रतिशत विलनीकरण और अधिग्रहण हो रहे हैं. वे एमएसएमई में जागरूकता के लिए प्रयास कर रहे हैं.